Australian Government
Department of Agriculture and Water Resources

Hindi

जून
2017

ऑस्ट्रेलिया में आगमन

जैव-सुरक्षा

ऑस्ट्रेलिया में आगमन

जीवित जीव-जंतु और पौधे, पौध-सामग्रियाँ, जीव-जंतुओं से प्राप्त उत्पाद और विदेशों से यहाँ लाई गई कुछ खाद्य-सामग्रियों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के कुछ अत्यंत हानिकारक कीटाणु और रोग दाख़िल हो सकते हैं। इससे हमारी मूल्यवान कृषि, पर्यटन उद्योग और अनूठे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है।

देश के अन्दर या बाहर – ऑस्ट्रेलिया की स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद खाद्य-आपूर्ति को बनाए रखने में कृषि एवं जल संसाधन विभाग राज्य एवं प्रादेशिक सरका रों, उद्योग और समुदाय के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑस्ट्रेलिया की जैव-सुरक्षा प्रणाली देश के अन्दर अवांछित कीटाणुओं और रोगों के दाख़िल होने के जोखिम को कम करके मानव, जीव-जंतु एवं पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। सुदृढ़ जैव-सुरक्षा प्रणाली का लाभ हर किसी को मिलता है, इसलिए इसमें हर किसी को भूमिका निभानी होती है।

घोषणा करें

ऑस्ट्रेलिया में आपके आगमन से पूर्व आपको एक आगमन यात्री कार्ड (इनकमिंग पैसेंजर कार्ड) दिया जाएगा। यह सूचना प्रदान करना आपके लिए आवश्यक है और आपको इसका अनुपालन करना होगा। गलत या भ्रामक सूचना देना एक गंभीर अपराध है।

यदि आप ऐसे सामान ले जा रहे हों जिनसे जैवसुरक्षा सम्बंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता हो तो आपको अपने कार्ड पर **“हाँ”** चिह्नित करना होगा। इन वस्तुओं में शामिल हैं पौध सामग्रियाँ, जीव-जंतुओं से प्राप्त उत्पाद और कुछ खास खाद्य वस्तुएँ।

आपके बोर्डर क्लीयरेंस के दौरान, कृषि एवं जल संसाधन विभाग का कोई जैवसुरक्षा अधिकारी घोषित सामानों का निरीक्षण कर सकता है।

आप कोई सामान घोषित न करें तो भी जैवसुरक्षा अधिकारी आपके सामान की जाँच कर सकता है। वे एक्सरे या खोजी कुत्ते की मदद ले सकते हैं। निरीक्षण से पहले ही आपको जैवसुरक्षा जोखिम वाली किसी भी वस्तु को नष्ट या उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते या आगमन यात्री कार्ड (इनकमिंग पैसेंजर कार्ड) पर गलत घोषणा करते हैं तो:

- आपको पकड़ लिया जाएग
- आप सिविल दंड के भागी बनेंगे
- आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है, आप पर 420,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है और 10 साल तक की कैद हो सकती है और आपका आपराधिक इतिहास बन सकता है।

यदि आप **सभी** सामानों की घोषणा कर देते हैं, भले ही ऑस्ट्रेलिया में उन्हें लाने की अनुमति न हो, तो *जैवसुरक्षा अधिनियम 2015* के तहत आप दंड के भागी नहीं बनेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने वाले घरेलू यात्री

आपके सामान विमान अथवा उन वस्तुओं के सम्पर्क में आए होंगे जो जैवसुरक्षा नियंत्रण के अधीन हैं। इससे आपके सामान से जुड़े जैवसुरक्षा जोखिम का स्तर प्रभावित हो सकता है। यदि आप जैवसुरक्षा से सरोकार रखने वाली खाद्य वस्तुएँ या अन्य सामग्रियाँ ले जा रहे हों तो उन वस्तुओं का आकलन किया जा सकता है। जिन वस्तुओं में अवांछित स्तर का जैवसुरक्षा जोखिम मौजूद होगा, वे चाहे मूल रूप से कहीं की भी वस्तु हों, वे जैवसुरक्षा प्रबंधन सक्रियता के अंतर्गत आएँगी।

आपके द्वारा घोषित की गई वस्तुओं के साथ क्या होता है?

वस्तुओं का निरीक्षण किसी जैवसुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो वस्तुओं से जुड़ी हुई जैवसुरक्षा जोखिम के स्तर का निर्धारण करेगा। जैवसुरक्षा अधिकारी को जोखिम का निर्धारण करने की क्षमता प्रदान करने के लिए आपको सूचना या दस्तावेज़ उपलब्ध कराना पड़ सकता है। अनेक मामलों में, आपके द्वारा घोषित किए गए सामान निम्न जोखिम वाले होंगे और जैवसुरक्षा अधिकारी जाँच के बाद उन्हें आपको वापस लौटा देगा। लेकिन जिन वस्तुओं में अवांछित स्तर का जैवसुरक्षा जोखिम मौजूद होगा उनका प्रबंधन *जैवसुरक्षा अधिनियम 2015* के अंतर्गत किया जाएगा।

जोखिम पर निर्भर होते हुए, आप:

- जैवसुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए उस वस्तु के परिशोधन की कीमत चुका सकते हैं (जैसे: धूम्रशोधन यानी फ्युमिगेशन, गामा विकिरण द्वारा परिशोधन)
- ऑस्ट्रेलिया से वस्तुओं के निर्यात का शुल्क चुका सकते हैं, या
- वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं।

पहले दो विकल्प शुल्क के अधीन हैं और विशेष शर्तें लागू हो सकती हैं।

कृषि एवं जल संसाधन विभाग परिशोधन के परिणामस्वरूप नुकसान के जोखिम को न्यूनतम करने का हर संभव प्रयास करता है लेकिन परिशोधन या निर्यात के दौरान आपकी वस्तुओं को कोई भी नुकसान होने पर उसकी जिम्मेदारी वहन नहीं करता।

आप वस्तुओं के लिए आयात परमिट (आपके आगमन से पूर्व कृषि एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया जाता है) के लिए आवेदन कर सकने के योग्य हो सकते हैं। आयात परमिट शर्तों के अधीन जारी किए जा सकते हैं। यदि आपके पास वस्तुओं के लिए आयात परमिट है तो जैवसुरक्षा अधिकारी इस बात का आकलन करेगा कि आयात से आयात परमिट के नियमों और शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं।

कुछ राज्य और प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के अन्य हिस्सों से ताज़े फलों को लाना वर्जित करते हैं।

आगमन पर

कुछ खास खाद्य पदार्थों, पौध सामग्रियों और जीव-जंतुओं से प्राप्त उत्पादों की घोषणा करना आपके लिए अनिवार्य है। उदाहरणों की यह सूची सम्पूर्ण नहीं है।

खाद्य-वस्तुए

- एयरलाइन खाद्य वस्तुएँ और अल्पाहार
- वाणिज्यिक रूप से तैयार किए गए, पके-पकाए और कच्चे खाद्य और उनके घटक
- सूखे मेवे और सब्जिय
- इंस्टैंट नूडल्स और राइस
- पैकेटबंद भोजन
- जड़ी बूटियाँ और मसाले
- हर्बल एवं पारंपरिक औषधियाँ, उपचार-सामग्री, टॉनिक एवं हर्बल टी
- स्नैक फूड्स
- शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पाद

दुग्ध एवं अंडा उत्पाद

- शिशु-आहार
- दुग्ध उत्पाद (ताज़े और पाउडर) जिनमें दूध, चीज, और 'गैर-दुग्ध' क्रीम शामिल हैं
- सभी पूर्ण, सूखे एवं पाउडर किए हुए अंडे, एवं अंडों के उत्पाद, जैसे कि मेयोनेज़
- अंडे से बने सभी उत्पाद जिनमें अव्यावसायिक रूप से तैयार किए गए नूडल्स और पास्ता शामिल हैं।

मुर्ग, दूध एवं सीफूड (समुद्री खाद्य) उत्पाद

- मांस जिनमें शामिल हैं ताज़े, ड्राइ, फ्रोजन, पके-पकाए, स्मोक्ड, सॉल्टेड या संरक्षित – सभी जीव प्रजातियों के
- सॉसेज, सलामी या स्लाइस्ड मीट
- मछली एवं अन्य समुद्री आहार।

बीज और गिरियाँ (नट्स)

- अनाज के दाने, पॉपकॉर्न, नट्स, पाइन कोन्स, बर्डसीड, बीज और बीज वाले कोई भी सजावटी आहार।

ताज़े फल और सब्जियाँ

- सभी ताज़े और फ्रोज़न फल एवं सब्जियाँ।

पौध-सामग्री

- सजीव पौधे जिनमें उनकी कलमें भी शामिल हैं
- ऐसी चाय जिसमें बीज, फलों की खाल (जैसे नींबू या सेब के छिलके) और फलों के टुकड़े हों
- ऐसी उपचार-सामग्रियाँ या औषधियाँ जिनमें जड़ी-बूटी, बीज, पेडों के छाल, कवक और सूखी पौध-सामग्रियाँ शामिल हों
- ताज़े और सूखे फूलों के साज-सजावट और शुष्क अतर
- सूखी जड़ी-बूटियाँ और पत्ते
- हस्तशिल्प की वस्तुएँ (फूलों की माला और क्रिसमस डेकोरेशन भी शामिल हैं) जिनमें बीज, नट्स, कॉर्न, पाइन कोन्स, ग्रेपवाइन्स, छाल, काई, घास पात या अन्य पौध-सामग्रियाँ शामिल हों
- लकड़ी की वस्तुएँ

जीवित जीव-जंतु एवं जीव-जंतुओं से प्राप्त उत्पाद

- सभी स्तनपायी जीव, पक्षी, पक्षियों के अंडे और घोंसले, मछलियाँ, सरीसृप, उभयचर और कीट-पतंग
- पंख, हड्डियाँ, सींग, दाँत, वूल और जानवरों के बाल
- त्वचा, खाल या फर
- स्टफ्ड जीव-जंतु और पक्षी (इनमें से कुछ विलुप्त प्रजाति कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित हो सकते हैं)
- शंख और कोरल जिनमें आभूषण, स्मारिका इत्यादि शामिल हैं
- मधुमोम एवं मधुमक्खियों से प्राप्त अन्य उत्पाद
- जानवरों द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरण जिनमें जीव उपकरण और औषधियाँ, मांस काटने-फाड़ने के औजार, काठी और टैक और जंतुओं या पक्षियों के पिंजरे शामिल हैं
- पेट फूड – डब्बाबंद उत्पाद और रॉहाइड च्यूज़ (खाल से बने चबाए जाने वाले उत्पाद) सहित
- रॉहाइड वस्तुएँ और ढोल इत्यादि हस्तशिल्प की वस्तुएँ।

अन्य वस्तुए

- जीव वैज्ञानिक नमूने जिनमें टिश्यू कल्चर भी शामिल हैं
- जंतु या पौध-सामग्रियों से तैयार हस्तशिल्प एवं शौकिया लिबास
- प्रयोग में लाए जा चुके स्पोर्टिंग एवं कैम्पिंग उपकरण जिनमें शामिल हैं टेंट, फुटवियर, हाइकिंग बूट्स, गोल्फ उपकरण एवं साइकिल
- प्रयोग में लाए जा चुके साफ़ पानी वाले वाटरक्राफ़्ट या मछली पकड़ने के उपकरण जिसमे शामिल हैं छड़ और नेट्स, वेडर्स, कायकस, पैड्ल्स, और जीवन रक्षक जैकेट्स।

जैवसुरक्षा आयात की शर्तें

और अधिक जानकारी जैवसुरक्षा आयात शर्तें प्रणाली (BICON) पर उपलब्ध है।

जैव-सुरक्षा जोखिम और उल्लंघनों की रिपोर्ट देन

अपने बैगेज या सामान खोलते समय यदि आपको कोई कीट-पतंग, जीव-जंतु या पौध सामग्री दिखे तो **1800 798 636** पर फोन करके विभाग को तुरन्त इसकी सूचना दें।

यदि जैवसुरक्षा सरोकार वाली कोई भी सामग्री आप अनजाने में ले आए हों तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा।

यदि आपको संदेह हो कि किसी ने ऑस्ट्रेलिया की जैवसुरक्षा, निर्यात या खाद्य निरीक्षण कानूनों का उल्लंघन किया है तो आप निम्नांकित तरीकों से विभाग को इसकी सूचना दे सकते हैं:

ईमेल: enforcement@agriculture.gov.au
फोन: 1800 803 006

डाक पता:
Department of Agriculture and Water Resources Redline, Enforcement
GPO Box 858
Canberra ACT 2601